



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक: एफ.1(1)(57)निमअ/स्था/2011/

जयपुर, दिनांक :

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक क्रमशः एफ. 1(1)(57) स्था/निमअ/2011/17085 एवं 17197 जयपुर, दिनांक 27.08.2020 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता परीक्षा-2018 में सफल घोषित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर संरक्षण अधिकारी के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार, नवनियुक्त संरक्षण अधिकारी को विभागीय आदेश क्रमांक 17828-843 दिनांक 03.09.2020 के द्वारा कार्यग्रहण अवधि में 02 माह की अभिवृद्धि की गई थी। श्री राजेन्द्र कुमार, नवनियुक्त संरक्षण अधिकारी के स्वयं की प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्तमान पद कनिष्ठ विधि अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, कोटा से कार्यमुक्त होने में समय लगने की संभावना है।

अतः श्री राजेन्द्र कुमार को 03 माह के लिए कार्यग्रहण करने की अवधि में अभिवृद्धि की जाती है।

ए.स.

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

जयपुर, दिनांक : 10¹¹ 2020

क्रमांक: एफ.1(1)(57)निमअ/स्था/2011/ 27034-041

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. Personnel Officer (M&P-LC/IT), JVVNL, Kota को प्रेषित कर लेख है कि श्री राजेन्द्र कुमार को शीघ्र कार्यमुक्त करने का श्रम करें।
5. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, प्रतापगढ़।
6. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री राजेन्द्र कुमार, नवनियुक्त संरक्षण अधिकारी हाल कनिष्ठ विधि अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, कोटा।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.